

प्रेषक,

डॉ भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,

समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

3. निदेशक,

विद्यालय शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

2. निदेशक,

जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-4

देहरादून, दिनांक २३ मई, 2016

विषय:- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित गौरादेवी कन्याधन योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे निवासरत समस्त परिवारों की दो बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका शिक्षा प्रोत्साहन देने हेतु गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने एवं निस्तारण की समयसीमा एवं पारदर्शी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 से उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृत करने तक की समस्त प्रक्रियाओं को ऑन लाईन करने का निर्णय लिया गया है तथा इन प्रक्रियाओं हेतु समय सारणी एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन प्रक्रिया का भी निर्धारण किया जा रहा है। योजनान्तर्गत आवेदन करने एवं ऑन लाईन प्रविष्टि करने, मार्गदर्शन एवं अन्य प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन प्रविष्टि करने हेतु एन.आई.सी., उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा विकसित वेबपोर्टल <http://escholarship.uk.gov.in> पर Login करना होगा। उक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा का विवरण निम्नवत है -

1. गौरा देवी कन्या धन योजना हेतु पात्रता-

- (I) गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों अथवा जिनकी वार्षिक आय रु0 15,976/- (ग्रामीण क्षेत्रों) एवं में 21,206/- (शहरी क्षेत्र) से अधिक न हो।

- (II) योजना का लाभ केवल इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को ही दिया जायेगा एवं व्यक्तिगत परीक्षा के माध्यम से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली केवल अविवाहित छात्रा पात्र होगी तथा उसकी उम्र उस शैक्षिक वर्ष के माह की 01 जुलाई, को 25 वर्ष से अधिक न हो।
- (III) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की ऐसी बालिकायें पात्र होगी जो राज्य में स्थित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (शासकीय/अशासकीय) इण्टर कालेजों में कक्षा-12 में अध्ययनरत हैं।
- (IV) पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं होगी।
- (V) एक दम्पत्ति की अधिकतम दो पुत्रियों को ही योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
- (VI) योजना के अन्तर्गत चयनित प्रति छात्रा को ₹50,000 की धनराशि 'कन्याधन' के रूप में स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा ऐसे शासकीय बैंक जो सी0बी0एस0 माध्यम से जुड़े हैं में छात्रा के नाम से तीन से पांच वर्ष की सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जायेगी तथा जिस पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार मासिक ब्याज दिया जायेगा।

2. ऑनलाईन आवेदन करते हुए निम्न अभिलेखों को संलग्न किया जाना आवश्यक होगा—

- (I) आवेदन पत्र पर छात्रा का पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चर्चा हो तथा दो पासपोर्ट साईज के फोटो आवेदन—पत्र पर पृथक से संलग्न हों।
- (II) अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण—पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
- (III) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदत्त बी0पी0एल0 श्रेणी/बी0पी0एल0 कार्ड की सत्यापित प्रति।
- (IV) बी0पी0एल0 श्रेणी के अतिरिक्त निर्धारित आय हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति। (जो 6 माह पूर्व का न हो)
- (V) जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाईस्कूल उत्तीर्ण प्रमाण—पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
- (VI) परिवार रजिस्टर की नकल की प्रति।
- (VII) एफ0डी0आर0 हेतु संबंधित बैंक के एफ0डी0आर0 फार्म छात्रा के हस्ताक्षर सहित।
- (VIII) 25 वर्ष तक के अविवाहित छात्राओं हेतु संबंधित प्रधान/वार्ड मैम्बर द्वारा प्रदत्त अविवाहित होने का प्रमाण—पत्र।
- (IX) एफ0डी0आर0 हेतु अभ्यर्थी अपने राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शासकीय बैंक जो सी0बी0एस0 माध्यम से जुड़े हैं, के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, जिसमें अभ्यर्थी का पूर्ण विवरण अंकित हो, की छायाप्रति।
- (X) आधार कार्ड/सं0 अनिवार्य है।
- (XI) आई0डी0प्रूफ हेतु परिचय पत्र/फोटो पहचान पत्र/आधार कार्ड या राशन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।
- (XII) छात्रा/अभिभावक एस0एम0एस0 सुविधा एवं सम्पर्क हेतु मोबाईल नम्बर।

(XIII) विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा जारी अनुक्रमांक का अंकन आवेदन-पत्र पर किया जाना होगा।

(XIV) ईमेल आईडी० (वैकल्पिक)

3. गौरा देवी कन्याधन योजना के ऑनलाईन पंजीकरण, स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है –

- (I) समस्त छात्राओं को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर अपने विद्यालय में जमा करवाना होगा। सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा समस्त आवेदनों को अपनी संस्तुति सहित सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा।
- (II) जिन छात्राओं द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति हेतु वर्तमान शैक्षिक वर्ष में आवेदन पत्र भरे गये हैं तथा जिनके आवेदनों की ऑनलाईन प्रविष्टि है तथा जो गौरा देवी कन्याधन योजना हेतु भी पात्र हैं, ऐसी छात्राओं का डाटा सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सीधे डाटापुलं कर तथा उनमें आवश्यक जानकारी अद्यतन कर गौरा देवी योजना पोर्टल पर चिह्नित करना होगा।
- (III) ऑनलाईन डाटा पुलिंग एवं सामान्य वर्ग की छात्राओं की सफलतापूर्वक ऑनलाईन प्रविष्टि हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी समस्त पात्र छात्राओं को भौतिक सत्यापन कर ऑनलाईन Verify (सत्यापित) करेंगे। इसके उपरान्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य जाति के सत्यापित किये गये आवेदनों को सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी को अग्रेतर कार्यवाही हेतु ऑनलाईन प्रेषित करेंगे। यदि ब्लॉक स्तर पर ऑनलाईन प्रेषण की सुविधा नहीं है तो उस दशा में सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी ऑनलाईन आवेदन पत्रों के प्रेषण का कार्य जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपादित किया जायेगा।
- (IV) जिन विकास खण्डों में ऑनलाईन डाटा प्रविष्टि की सुविधा नहीं है उन स्थानों में सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदनों की ऑनलाईन डाटा एन्ट्री करेंगे।
- (V) सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी जिला स्तर पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच करेंगे यदि जांचोपरान्त किसी आवेदन पत्र में कोई कमी अथवा संदिग्धता पायी जाती है तो उस आवेदन पत्र को अस्थायी रूप से निरस्त करेंगे एवं पुनः सत्यापन एवं जॉच हेतु सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से निरस्त किये गये आवेदन पत्रों की 15 दिनों के भीतर पुनः

जांच/सत्यापित करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

- (VI) उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल छात्राओं का परिणाम सीधे परिषद द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा गठित आई०टी० सैल को परीक्षाफल जारी होने के एक सप्ताह के भीतर प्रमाणित हार्ड/सॉफ्ट कॉपी को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा, जिसे आई०टी०सैल एन०आई०सी० उत्तराखण्ड के सहयोग से गौरा देवी कन्या धन योजना पोर्टल पर अपडेट करायेगा तथा जो छात्राए अन्य परीक्षा बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगी उन्हें जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिले स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर छात्राओं का परीक्षाफल प्राप्त करना होगा तथा गौरा देवी कन्या धन योजना पोर्टल पर उन छात्राओं का परीक्षाफल अपडेट करना होगा।
- (VII) सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा जिन छात्राओं को गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत पात्र पाया जायेगा, छात्रा द्वारा पूर्व में अपने आवेदन पत्र के साथ सलग्न एफ०डी० के फार्म में जिस बैंक का एफ०डी०आर० फार्म भरा गया है एवं जहाँ उसका खाता है उस बैंक को सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी यह सूचित करेंगे कि इस छात्रा को गौरा देवी कन्या धन योजना हेतु पात्र पाया गया है तथा जो धनराशि छात्रा के खाते में ऑनलाईन माध्यम से प्रेषित की जा रही है उस धनराशि को तत्काल एफ०डी० के रूप में स्थानान्तरित कर दें।
- (VIII) सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति उपरान्त आवेदकों के बैंक खातों में ऑनलाईन माध्यम से धनराशि प्रेषित कर सम्बन्धित बैंक द्वारा एफ.डी. बनाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित की जायेगी।
- (IX) उक्त प्रक्रिया शासकीय/अशासकीय एवं विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर के क्षेत्राधिकार से बाहर अन्य विद्यालयों में इंटरमीडिएट कक्षा में अध्ययनरत योग्य छात्राओं हेतु भी लागू होगी।

गौरा देवी कन्या धन योजना हेतु कन्या धन की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निर्धारित समय—सारणी।

क्र.सं.	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित अन्तिम तिथि (प्रत्येक वर्ष हेतु)
1	सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रा का ऑफलाईन फार्म भराकार सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।	01 दिसम्बर से 31 जनवरी तक
2	सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी अपने स्तर पर प्राप्त ऑफलाईन आवेदनों की ऑनलाईन प्रविष्ट की जायेगी।	01 फरवरी से 15 मार्च तक

3	सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला प्रोबेशन अधिकारी को ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।	16 मार्च से 31 मार्च तक
4	सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी / सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय अपने स्तर पर आवेदनों की जॉच करेंगे, कमी एवं त्रुटि पाये जाने पर पुन जॉच हेतु सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेंगे।	01 अप्रैल से 10 अप्रैल तक
5	सम्बन्धित खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी 15 दिनों के भीतर पुनः जॉच करके आवेदनों को सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रेषित करेंगे।	11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक
6	इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी / सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा एफ0डी0आर0 बनाये जाने हेतु छात्राओं के खाते में ऑनलाईन धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी।	इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर

आगामी वर्षों हेतु भी गौरा देवी कन्या धन की स्थीकृति एवं वितरण की समय सीमा उक्तानुसार यथावत रहेगी। उक्त निर्धारित की गयी समय सीमा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार शासन / निदेशक, समाज कल्याण / निदेशक, जनजाति कल्याण में निहित होगा।

4. आवेदन पत्र में अंकित विवरण एवं संलग्नकों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर आवेदक के विरुद्ध आवश्यक विधि-सम्मत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें आवेदक के विरुद्ध सिविल अथवा क्रिमिनल कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य कार्यवाही जैसे अनुदान की धनराशि रिकवरी आदि शामिल हो सकता है।
5. इस ऑनलाईन प्रणाली द्वारा आवेदकों को गौरा देवी कन्या धन योजना के प्रकरणों का त्वरित तथा पारदर्शिता के साथ निराकरण सम्बन्धी तथा अन्य लाभों को देखते हुए यह व्यवस्था एन0आई0सी0 के तकनीकी सहयोग सें समर्त जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। प्रत्येक जिले के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तथा जनजाति कल्याण निदेशालय (भगत सिंह कालोनी, देहरादून) में स्थापित समाज कल्याण के आई0टी0 सैल द्वारा भी खण्डों में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारियों, जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं जिला प्रोबेशन अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, समाज कल्याण तथा निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा स्वयं अथवा आई0टी0सैल के माध्यम से गौरा देवी कन्या धन योजना की उक्त स्थापित व्यवस्था की समय-2 पर समीक्षा की जायेगी तथा अपने सुझाव शासन को प्रेषित किये जायेंगे। किसी भी खण्ड में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारियों, जिला समाज कल्याण अधिकारियों तथा जिला प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा यदि शासनादेश में वर्णित किसी प्राविधान का उल्लंघन किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6. शासनादेश के समस्त प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आगामी वर्षों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
7. योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन/संचालित किये जाने में किसी भी स्तर पर शिथिलता बरते जाने पर इसे गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा।
8. उक्त शासनादेश शिक्षा विभाग की सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।
9. योजना के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीया,


(डॉ० भूषिन्द्र कौर औलख)
सचिव

संख्या—८५९/XVII-4/2016-01(135)/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख संचिव मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, ओबराय बिलिङ्ग, माजरा, देहरादून।
5. सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमार्यू मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, राज्य बैंकर्स समिति।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड।
11. उपनिदेशक/नोडल अधिकारी, आई०टी०सैल, देहरादून।
12. समस्त लीड बैंक अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,


(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव